

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 2439 / FP/UK/Others/30115/2017 देहरादून: दिनांक: 15 जनवरी, 2018

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नैनबाग से पत्थरखोल तक 0.132ha वन भूमि पर OFC line बिछाने हेतु बी0एस0एन0एल0 को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।
(Online file no - FP/UK/Others/30115/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद - जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नैनबाग से पत्थरखोल तक 0.132ha वन भूमि पर OFC line बिछाने हेतु बी0एस0एन0एल0 को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने का वन भूमि प्रस्ताव आनलाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं वन संरक्षक यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमती व्यक्त की गई है। बी0एस0एन0एल0 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार जनपद-टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 3G/4G जैसी नई तकनीकी सुविधाओं के लिए तथा दूर संचार की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना का कार्य किया जाना है। इससे भविष्य में स्थाई तथा अस्थायी रूप से लोगो को रोजगार मिलने की सम्भावना है। प्रश्नगत परियोजना का कार्य व्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित परियोजना हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नहीं है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 11-568/2014 -एफ.सी. दिनांक 02-02-2015 के द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल लाईन बिछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24-04-2008 एवं आदेश दिनांक 09-05-2008 तथा तत्कम में भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के द्वारा OFC लाईन बिछाने के प्रस्तावों पर एन0पी0वी0 की देयता से छूट प्रदान की गई है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नैनबाग से पत्थरखोल तक 0.132ha वन भूमि पर OFC line बिछाने हेतु बी0एस0एन0एल0 को अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।
संलग्न- आनलाईन प्रपत्र पार्ट 1 से 4 तक।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/Others/30115/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी -टिहरी गढ़वाल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
3. मण्डलीय अभियन्ता, संचार परियोजना (बी0एस0एन0एल0) इन्दिरा नगर, देहरादून।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी